10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प संभाग सागर

निग – 428 – II – 16

1– गोकुल तनय टिल्ला यादव ,

2– मंरियां तनय दरज्जू यादव

सभी निबासी ग्राम धनेरा , तहसील खरगापुर , जिला टीकमगढ़

..................आवेदकगण

वनाम

1– नाथूराम तनय कलू यादव

निबासी ग्राम धनेरा , तहसील खरगापुर , जिला टीकमगढ़

2– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार निवाड़ी, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी वल्देबगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 21/अपील/2011–12 पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19/11/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को सनवाई का क्षेत्राधिकार हे।

B.O.R.
18 JAN 2016

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय अधीक्षक, राजस्व मंडल, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

01
27-01-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-428-दो/2016 जिला टीकमगढ़ गोकुल विरूद्ध नाथुराम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-11-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (3) (आर.के. जैन) सदस्य	22/2/19